

299/2024

GTCMS No. - 2024/443/

राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी

क्रमांक : राजस्व/2024/2999

दिनांक : 19/11/2024

--: आदेश :-

तहसीलदार घंटियाली जिला फलोदी के द्वारा रा.भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व 136 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 261 में से रकबा 0.4047 हैक्टेयर किस्म बारानी-3, में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया है।

क्रसं.	नाम ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	किस्म	रास्ते में उपयोग हो रही भूमि	शेष रकबा (क्षेत्रफल)
1	चिमाणा	261	3.6341 है.	बारानी-3	0.4047 है.	3.2294 है.
	कुल	01			0.4047 है.	

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पटवारी चिमाणा व भू.अ. निरीक्षक चिमाणा की रिपोर्ट एवं सलंगन रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी उपरोक्त खसरा नम्बर में विद्यमान कदीमी रास्ते के सम्बन्ध में से परिशिष्ट A के अनुरूप 0.4047 हैक्टेयर भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 व रा.भू.अ. 1957 के नियम 60(एच) के तहत तहसीलदार घंटियाली का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 261 में से कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर की किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तन करने एवं नक्शा (लट्टा) ट्रेस में दुरुस्ती एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते हैं कि उक्त भूमि गै.मु.रास्ता दर्ज कर नक्शों में तरमीम की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करे। किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने पर उसकी भी पालना की जावे। यह एक अपीलीय आदेश है जिसकी सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती है।



क्रमांक : राजस्व/2024/8500-5004

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

- श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, फलोदी की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- तहसीलदार घंटियाली को पालनार्थ।
- भू.अ. निरीक्षक चिमाणा को पालनार्थ।
- पटवारी हल्का चिमाणा को रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शों में तरमीम की कार्यवाही हेतु।

19.11.24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)
दिनांक : 19/11/2024

19.11.24
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)